यूपी ने पूरा किया कारोबारी सुगमता लक्ष्य

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय की ओर से तय कारोबारी सुगमता लक्ष्य को यूपी, उत्तराखंड और गुजरात ने भी पूरा कर लिया है। इसके बाद व्यय विभाग ने इन राज्यों को खुले बाजार से 9,905 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी जुटाने की छूट दे दी। मंत्रालय के अनुसार, अब तक कुल 15 राज्यों ने कारोबारी सुगमता लक्ष्य पूरा किया।

केंद्र सरकार ने मई, 2020 में तय किया था कि कारोबारी सुगमता में सुधार करने वाले राज्यों को बाजार से अतिरिक्त पूंजी जुटाने की सहूलियत दी जाएगी। राज्यों को चार मानकों पर सुधार करने थे, जिसमें एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड, कारोबारी सुगमता, शहरी निकाय और ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं। वित्त मंत्रालय के अधीन आने वाले व्यय विभाग ने बताया कि उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की सिफारिश पर यूपी, उत्तराखंड व गुजरात को खुले बाजार से अतिरिक्त राशि जुटाने की अनुमति दे दी गई है। ब्यूरो

यूपी सहित तीन राज्यों को 9,905 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की छूट

■ 15 राज्यों को 38 हजार करोड़

व्यय विभाग के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और तेलंगाना ने भी कारोबारी सुगमता के सुधारों को पूरा किया है और अब इन 15 राज्यों को बाजार से कुल 38,088 करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने की अनुमति दी जा चुकी है। सरकार ने कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्यों की कर्ज लेने की सीमा भी उनकी जीडीपी की 2 फीसदी बढ़ा दी थी।